

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहे श्री प्रभाष प्रियदर्शी, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध कतिपय आरोपों के लिए विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक 6634 दिनांक 29.12.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया था। श्री प्रियदर्शी के दिनांक- 31.12.2017 को सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को "बिहार पेंशन नियमावली" के नियम- 43बी0 के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

2. विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक 6634 दिनांक 29.12.2017 में निहित अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

ह0/-

(चन्द्रशेखर)

सरकार के अपर सचिव।

/खाद्य,पटना/दिनांक 17-01-2018

ज्ञापांक-प्र08गो0आ0(खगड़िया)-52/2017 275

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, खगड़िया/उप निदेशक खाद्य, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर सह-संचालन पदाधिकारी /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया -सह-साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री प्रभाष प्रियदर्शी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



17/1/XVII

सरकार के अपर सचिव।